

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक- 12.08.2016

क्रमांक एफ 1-3/2015/ब-2/दो राज्य शासन द्वारा आवंटन वर्ष 1985 के निम्नानुसार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को, भारतीय पुलिस सेवा के अधिसमय वेतनमान से ऊपर के वेतनमान-एच.ए.जी.+ 75500-80000 रुपये में महानिदेशक के वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तालिका के खाना क्रमांक 4 में दर्शित पद व स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	2.	3.	4.
01.	श्री महान भारत सागर, भापुसे (1985)	अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल	विशेष पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

2. पैरा 01 में वर्णित अधिकारी द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भापुसे (वेतन) नियम 2007 के नियम-11 के अंतर्गत तालिका के कालम 04 में दर्शित जो पद असंवर्गीय हैं, उस पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 11-क के अंतर्गत महानिदेशक के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारी द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन एफ क्र. 1/1/2008-आईसी, दि. 13.09.08 के पैरा 2 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण हेतु पदोन्नति की दिनांक से एक माह के अन्दर विकल्प प्रस्तुत करना होगा। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् विकल्प प्राप्त न होने पर उनका वेतन नियमानुसार निर्धारित कर दिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्री दास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

भोपाल, दि.12.08.2016

पृ.क्रमांक एफ 1-3/2015/ब-2/दो
प्रतिलिपि-

01. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
03. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
04. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
05. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
06. विशेष सहायक, मान. मंत्री, गृह, मंत्रालय, भोपाल ।
07. अपर मुख्य सचिव, गृह के स्टॉफ आफिसर ।
08. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।
09. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, वल्लभ भवन, भोपाल ।
10. संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।
11. गृह विभाग, कक्ष ब-2, लेखा ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(श्री दास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग